1. राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	आउटपुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
172.50	**क. हरित भारत मिशन – राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम**					
	1. वनरोपण और पौधों का रखरखाव	1.1 अग्रिम कार्यों के तहत शामिल किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	10000	वन /गैर-वन भूमि पर वन/वृक्षों का बढ़ा आवरण	1.1 वन -आवरण को बढ़ाने के लिए पौधारोपण हेतु शामिल किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	3200
		1.2 वृक्षारोपण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)	8000			
		1.3 लगाए गए पौधों के रखरखाव के तहत कवर क्षेत्र(हेक्टेयर में)	65000	वन क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार	2.1 बेहतर वन क्षेत्र के लिए वृक्षारोपण हेतु शामिल किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	4800
40.00	**ख. वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन**					
	नियंत्रित ज्वलन सहित फायर लाइन तैयार करना और उसका रखरखाव करना	1.1 वर्ष के दौरान तैयार की गई और रखरखाव की गई फायर लाइनों की लंबाई (किमी में)	32000	वन में आग लगने की घटनाओं में कमी	1.1 पिछले वर्ष के मुकाबले वन में आग लगने की घटनाओं में प्रतिशत कमी	2%
	अग्निशमन उपकरणों की खरीद	2.1 वर्ष के दौरान खरीदे गए अग्निशामक उपकरणों की संख्या	320	नाग्नि से प्रभावित वन क्षेत्रों में कमी	2.1 वनाग्नि से प्रभावित अनुमानित क्षेत्र में प्रतिशत की कमी	2%
	3.संसाधनों की आवाजाही के लिए	3.1 संसाधनों की आवाजाही के लिए खरीदे/किराए पर लिए जाने वाले फील्ड वाहनों की संख्या	8	3. वनाग्नि बुझाने के लिए क्षमता का विकास	3.1 प्रशिक्षित फील्ड वन स्टाफ और जेएफएमसी/गांवों के सदस्यों की संख्या	प्रशिक्षित फील्ड वन स्टाफ की संख्या 250 और

	फील्ड वाहनों की खरीद/किराए पर लेना					प्रशिक्षित जेएफएमसी/गांवों की संख्या 600
	4. अग्नि प्रहरियों की नियुक्ति	4.1 अग्नि प्रहरियों के श्रमिक कार्यदिवसों की संख्या	512000	4. वनाग्नि के प्रभाव और डायनामिक्स पर जानकारी विकसित करना	4.1 वनाग्नि के प्रभाव और डायनामिक्स पर समकक्ष समीक्षा प्रकाशनों की संख्या	
	5. प्रशिक्षण और अग्नि-पूर्व कार्यशालाएं	5.1 प्रशिक्षण और अग्नि-पूर्व आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं की संख्या	480			
		5.2 वनाग्नि से बचाव के लिए प्रोत्साहित किए जाने वाले गांवों / संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की संख्या	320			

2. प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	आउटपुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
24.06	**जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण**					
	1. आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन	1.1 कुल आर्द्रभूमि की संख्या जहाँ संरक्षण और प्रबंधन कार्यकलाप किए जाते हैं	20	1. आर्द्रभूमि का संरक्षण और प्रबंधन तथा आर्द्रभूमि की बेहतर जल की गुणवत्ता	1.1 संरक्षण कार्यकलापों के तहत शामिल की गई आर्द्रभूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	100000
		1.2 उत्तर-पूर्वी राज्यों में आर्द्रभूमि की संख्या जहाँ संरक्षण और प्रबंधन कार्यकलाप किए जाते हैं	4		1.2 हेल्थ कार्ड स्कोर वाले आर्द्रभूमि का प्रतिशत जहां संरक्षण और प्रबंधन कार्यकलाप किए जाते हैं	75
		1.3 आर्द्रभूमि की संख्या जहाँ संरक्षण और एससी/एसटी घटकों के साथ प्रबंधन कार्यकलाप किए जाते हैं	4			
	आर्द्रभूमि प्रबन्धकों का क्षमता निर्माण	2.1 आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं की संख्या	4			
		2.2 आर्द्रभूमि प्रबंधन पर प्रशिक्षण / कार्यशाला में भाग लेने वालों की संख्या	200			

	3. वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण तथा उनके पारितंत्रीय घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों को बनाए रखते हुए मानव जीवन को संधारित करने के लिए आर्द्रभूमियों के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का विकास और रखरखाव करना।	3.1 चालू वित्त वर्ष के दौरान रामसर स्थल के तौर पर नामित नई आर्द्रभूमियों की संख्या	5			

3. वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास (सीएसएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	आउटपुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
290.00	1. कैंप, पेट्रोलिंग समेत शिकार-रोधक गतिविधियाँ।	1.1 वर्ष के दौरान निर्मित शिकार-रोधक अवसंरचना परिसंपत्तियों की संख्या	116	1. संकटापन्न प्रमुख और अन्य प्रजातियों की आबादी को उनके पर्यावासों में संतुलन बनाए रखना	1. बाघ की 1 स्थिर आबादी वाले बाघ अभयारण्यों का प्रतिशत	70%
		1.2 वर्ष के दौरान शिकार रोधक कर्मचारियों की तैनाती (श्रमिक कार्यदिवस लाख में)	60	2. संरक्षित क्षेत्रों (पीए) का संरक्षण	2.1 पिछले वर्ष के मुकाबले संरक्षित क्षेत्र और/अथवा बाघ अभयारण्य के तौर पर तय क्षेत्र में % बढ़ोतरी	0.1
		1.3 पेट्रोलिंग कार्य (किमी में)	77,80,122	3. शामिल किए गए संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार	3.1 वर्ष भर में नए बाघ अभयारण्यों की संख्या	2
	2. बाघ अभयारण्य के भीतर अवसंरचना का सुदृढीकरण (नए बाघ अभयारण्य सहित)	2.1 वर्ष के दौरान निगरानी के लिए बनाए जाने वाले ऊंचे वॉच टावरों की संख्या	90		3.2 वर्ष भर में बाघ अभयारण्यों के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र (वर्ग किमी में)	800
		2.2 वर्ष के दौरान बनाए जाने वाले पुलों/पुलियों की संख्या	420	4. बाघ अभयार	4.1 बाघ अभयारण्यों के अंतर्गत स्थिर	800

		2.3 वर्ष के दौरान पुल/पुलियों का रखरखाव (संख्या)	620	ण्यों के भीतर संवेदनशील वन्यजीव पर्यावास जैसे कॉरिडोर को संरक्षित करना	चरागाह क्षेत्र (हेक्टेयर में)	
		2.4 वर्ष के दौरान बनाए जाने वाले कच्चे तालाबों/बांधों की संख्या	398	5. जागरूकता कार्यक्रम और क्षमता निर्माण में बढ़ोतरी	5.1 जागरूकता और क्षमता निर्माण के माध्यम से बाघ अभयारण्य को सुदृढ़ करने और उनके प्रबंधन में जन भागीदारी में % बढ़ोतरी	55
		2.5 वर्ष के दौरान कच्चे तालाबों/पानी के गड्ढों का रखरखाव (संख्या)	805			
		2.6 वर्ष के दौरान बनाए जाने वाले अग्नि निगरानी टावरों की संख्या	180	6. बेहतर प्रबंधन और प्रभावकारी कार्यान्वयन	6.1 प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन में सकारात्मक श्रेणी परिवर्तन दर्शाने वाले बाघ अभयारण्य की संख्या	लागू नहीं
		2.7 वर्ष के दौरान बनाए जाने वाले स्टाफ क्वार्टरों की संख्या	220			
		2.8 वर्ष के दौरान स्टाफ क्वार्टरों का रखरखाव (संख्या)	1115			
		2.9 वर्ष के दौरान बनने वाले कार्यालयों की संख्या	60			
		2.10 कार्यालय भवन का रखरखाव (संख्या)	260			
	3.पर्यावास सुधार(समृद्ध पौधारोपण , मिट्टी/नमी	3.1 वर्ष के दौरान चरागाहों के विकास के तहत शामिल किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	28764			

	संरक्षण, जल संचयन, आग/बाढ़ से सुरक्षा)	3.2 चालू वर्ष में चरागाहों का रखरखाव (हेक्टेयर में)	32450			
		3.3 वर्ष के दौरान चरागाहों से अवांछनीय पौधों को हटाने सहित अवांछनीय पौधों को हटाने की गतिविधियों के तहत शामिल किया गया क्षेत्र	17600			
	4 प्रबंधन योजना, अनुसंधान और जागरूकता का सुदृढीकरण, क्षमता निर्माण	4.1 वर्ष के दौरान रिपोर्ट के प्रसार के लिए आयोजित होने वाली कार्यशालाओं की संख्या	250			
		4.2 वर्ष के दौरान अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षणों की संख्या	400			
		4.3 वर्ष के दौरान आदर्श कार्यविधियों के मूल्यांकन के लिए किए जाने वाले अध्ययन दौरों की संख्या	110			
	5.संबंधित हितधारकों को शामिल करते हुए सक्रिय प्रबंधन हेतु वन कर्मियों की तैयारी को आगे बढ़ाना	5.1 जागरूक किए जाने वाले व्यक्तियों संख्या	51200			
	6.वन/अन्य विभाग केकर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि	6.1 प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या।	4750			
	7. प्रबंधन योजना को सुदृढ़ करना, अनुसंधान और जागरूकता, क्षमता निर्माण	5.1 वर्ष के दौरान आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों/ प्रशिक्षणों/सम्मेलनों की संख्या	25	7. हाथियों की आबादी को उनके पर्यावास पर स्थिर करना	7.1 हाथियों के देश स्तर के आकलन के अनुसार भारत में हाथियों की संख्या	30000
	8.पर्यावास सुधार	6.1 वर्ष के दौरान वृक्ष/चारारोपण के अंतर्गत क्षेत्र सुधार (हेक्टेयर में)	230	8.हाथियों के	8.1 हाथी अभयारण्य और चिन्हित किए गए	150

	(समृद्ध पौधारोपण, मिट्टी/नमी संरक्षण, जल संचयन, आग/बाढ़ से बचाव)	6.2 अवांछनीय पौधों को हटाने की गतिविधि के अंतर्गत शामिल किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	160	महत्वपूर्ण पर्यावासों जैसे कॉरिडोरों को सुरक्षित करना	कॉरिडोर की संख्या में बढ़ोतरी	
		6.3 वर्ष के दौरान बनाए गए पानी के गड्ढों की संख्या	160			
	7. अवैध शिकार रोधी कार्यकलाप, जिनमें शिविरों की स्थापना, वॉच टावरों का निर्माण, गश्त व्यवस्था, विधिक सहायता, राइफल/बंदूक/गोलाबारूद की खरीद तथा जीपीएस, फायर क्रैकर्स आदि जैसी आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता शामिल है।	7.1 वर्ष के दौरान स्थापित/अनुरक्षित शिकार रोधी शिविरों/शैडों की संख्या।	85			
		7.2 वर्ष के दौरान गठित/अनुरक्षित (मेंटेन किए गए) शिकार रोधी स्क्वॉड की संख्या।	24			
		7.3 वर्ष के दौरान निर्मित/अनुरक्षित वॉच टावरों की संख्या।	31			
		7.4 वर्ष के दौरान विकसित/अनुरक्षित गश्त मार्ग की लंबाई (किलोमीटर में)।	650			
	8. भू-दृश्य-स्तरीय कार्यकलापों एवं सीमा-पार संरक्षित क्षेत्र पहलों के माध्यम से एकीकृत संरक्षण।	8.1 वर्ष के दौरान अग्नि रोकथाम एवं नियंत्रण के अंतर्गत लाए जाने वाली अग्नि लाइनों की कुल लंबाई (किलोमीटर में)।	650			
		8.2 वर्ष के दौरान स्थापित/अनुरक्षित किए जाने वाले हाथी अवरोधकों की संख्या।	85			
		8.3 वर्ष के दौरान स्थापित/अनुरक्षित किए जाने वाले सॉल्ट लिक्स की संख्या।	225			

114.78	**ख. वन्यजीव पर्यावासों का विकास***					
	1. प्रबंधन, योजना सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं जागरूकता तथा क्षमता निर्माण।		**समग्र लक्ष्य**	1. संवेदनशील संकटापन्न, प्रमुख और दूसरी प्रजातियों की आबादी को उनके पर्यावासों में स्थिर करना		**समग्र लक्ष्य**
			लक्ष्य 2006-27			लक्ष्य 206-27
		1.1 कवर किए गए संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या।	550		1.1 प्रजाति गणना – शेर	891
					1.2 प्रजातियाँ - मणिपुर ब्रो-	260

					एंटलर्ड वाला हिरण	
		1.2 कवर किए गए संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या। (एनईआर के लिए)	80		1.3 प्रजातियाँ - मणिपुर ब्रो-एंटलर्ड वाला हिरण (एनईआर के लिए)	260
		1.3 प्रबंधन योजनाओं वाले संरक्षित क्षेत्रों की संख्या।	550		1.4 प्रजातियों की संख्या – नीलगिरि तहर	2500
					1.5 प्रजातियाँ – गैंडा	2913
					1.6 प्रजातियाँ – गैंडा (एनईआर के लिए)	2913
					1.7 कवर की जाने वाली प्रजातियों की संख्या	24

					1.8 कवर की जाने वाली प्रजातियों की संख्या	10
		1.4. प्रबंधन योजनाओं वाले संरक्षित क्षेत्रों की संख्या। (एनईआर के लिए)	80			
		1.5 सक्रिय प्रबंधन योजना वाले संरक्षित क्षेत्रों की संख्या।	550			
		1.6 सक्रिय प्रबंधन योजना वाले संरक्षित क्षेत्रों की संख्या। (एनईआर के लिए)	80			
		1.7 वर्ष के दौरान आयोजित क्षमता निर्माण सम्मेलन/कार्यशालाओं/	175			

		प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या।				
		1.8 वर्ष के दौरान आयोजित क्षमता निर्माण सम्मेलन/कार्यशालाओं/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या। (एनईआर के लिए)	20			
		1.9 वर्ष के दौरान आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों/हितधारक परामर्श बैठकों की संख्या।	175			
		1.10 वर्ष के दौरान आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों/हितधारक परामर्श बैठकों की संख्या। (एनईआर के लिए)	20			
	2. वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावास में सुधार।	**2.1** निर्मित की गई शिकार रोधी अवसंरचनाओं की संख्या, जैसे कि शिविर, वॉच टावर/पोस्ट तथा अन्य संबंधित अवसंरचनाएँ।	30	2. संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्यजीव-समृद्ध क्षेत्रों में बेहतर संरक्षण उपाय।	2.1 संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्यजीव-समृद्ध क्षेत्रों में सुदृढ़/उन्नत संरक्षण	100
		2.2 निर्मित की गई शिकार रोधी अवसंरचनाओं की संख्या, जैसे कि शिविर, वॉच टावर/पोस्ट तथा अन्य संबंधित अवसंरचनाएँ। (एनईआर के लिए)	8		2.2 संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्यजीव-समृद्ध क्षेत्रों में सुदृढ़/उन्नत संरक्षण (एनईआर के लिए)	80
		2.2 अवांछित पादप प्रजातियों को हटाने के	500		3.1 भूमि स्थिरीकरण तथा घासभूमि	500

		अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)।			में सुधार (हेक्टेयर में)।	
		2.2 अवांछित पादप प्रजातियों को हटाने के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)। (एनईआर के लिए)	50	3. घासभूमि-समृद्ध क्षेत्रों का संरक्षण (हेक्टेयर में)।	3.2 भूमि स्थिरीकरण तथा घासभूमि में सुधार (हेक्टेयर में)। (एनईआर के लिए)	50

* यह लक्ष्य, योजना के समग्र लक्ष्यों में सम्मिलित हैं तथा इसे उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत पृथक रूप से भी प्रदर्शित किया गया है।

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत जारी की गई निधि:

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र: यह योजना उत्तर–पूर्वी क्षेत्र सहित सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू है। योजना के अंतर्गत समर्थित कार्यकलाप सभी क्षेत्रों में समान हैं। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत कुल सकल बजटीय सहायता का 10 प्रतिशत उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए निर्धारित है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति: वन्यजीव पर्यावास विकास योजना लाभार्थी–उन्मुख योजना नहीं है। वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित अधिकांश कार्यकलाप मजदूरी आधारित हैं।

वार्षिक कार्ययोजनाओं को समग्र रूप से संसाधित किया जाता है तथा केंद्रीय अंश सामान्य मद, जनजातीय उप–योजना मद एवं एससीटीपी मद के अंतर्गत जारी किया जाता है। राज्यों को निधि इस शर्त के साथ जारी की जाती है कि अनुसूचित जाति उप–योजना एवं अनुसूचित जनजाति उप–योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित निधि का व्यय केवल उन्हीं के लिए तथा उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा, जहाँ इनकी आबादी विद्यमान है।

इन मदों के अंतर्गत किया गया व्यय संबंधित राज्य द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रालय स्तर पर। चूँकि यह योजना लाभार्थी–उन्मुख नहीं है, अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पृथक लक्ष्य अथवा संकेतक उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इस संबंध में कोई पृथक लक्ष्य निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

लैंगिक आधार: यह योजना वन्यजीवों के संरक्षण, संरक्षणात्मक प्रबंधन तथा उनके पर्यावास के विकास के उद्देश्य से बनाई गई है और इन्हीं कार्यकलापों का समर्थन करती है। यह योजना लैंगिक आधार पर भेद नहीं करती तथा न ही यह किसी विशेष लिंग के लिए लाभार्थी–उन्मुख योजना है। अतः इसके अंतर्गत कोई पृथक लैंगिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

4. पर्यावरणीय ज्ञान एवं क्षमता निर्माण: वानिकी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (सीएस)।

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	आउटपुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
30.00	**1.** देश के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु भारतीय वन सेवा एवं अन्य वन अधिकारियों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों, नवाचारों तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना।	1.1 वर्ष के दौरान आयोजित एक सप्ताह के पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या।	30	**1.** जैव विविधता मूल्यांकन के सिद्धांत, व्यापार एवं बौद्धिक संपदा अधिकार, जैव-पायरेसी, जीन पूल प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय मूल्यांकन तकनीकें, वन प्रमाणन, निगरानी संकेतक, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, वानिकी में रिमोट सेंसिंग एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के अनुप्रयोग आदि जैसे विषयों पर विशेषज्ञ अधिकारियों का एक समूह विकसित करना।	1.1 घरेलू/विदेशी प्रशिक्षण के माध्यम से पर्यावरण, वन्यजीव एवं वानिकी के प्राथमिक क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रशिक्षित/कुशल किए गए वन अधिकारियों की समेकित संख्या।	1184
		1.2 एक सप्ताह के पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किए गए भारतीय वन सेवा अधिकारियों की संख्या।	800			
		1.3 वर्ष के दौरान आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं की संख्या।	15			
		1.4 तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किए गए भारतीय वन सेवा अधिकारियों की संख्या।	380			
		1.5 वर्ष के दौरान आयोजित दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या।	4			
		1.6 दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किए गए भारतीय वन सेवा अधिकारियों की संख्या।	4			
		1.7 वर्ष के दौरान वानिकी कार्मिकों हेतु आयोजित विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या।	-			

		1.8 विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किए गए वानिकी कार्मिकों की संख्या।	-			
	2. वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर अन्य सेवाओं के कार्मिकों तथा अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।	2.1 अन्य सेवाओं के कार्मिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या।	45	2. वानिकी प्रबंधन कार्यकलापों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, वन-वन्यजीव-पर्यावरण से संबंधित विधिक विषयों, संयुक्त वन प्रबंधन आदि जैसे पहलुओं पर सार्वजनिक समुदाय तथा अन्य सेवाओं के कार्मिकों एवं जनता का सुविज्ञ एवं संवेदनशील समूह विकसित करना।	2.1 पर्यावरण, वन्यजीव एवं वन संरक्षण के प्राथमिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित एवं संवेदनशील बनाए गए अन्य हितधारकों तथा अन्य सेवाओं के कार्मिकों की संचयी संख्या।	1700
		2.2 प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अन्य सेवाओं के कार्मिकों की संख्या।	900			
		2.3 अन्य हितधारकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या।	40			
		2.4 प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अन्य हितधारकों की संख्या।	800			

5. पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण: इको टास्क फोर्स (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	आउटपुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	**आउटपुट**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य 2026-27**
72.70	1. वनीकरण को प्रोत्साहन।	1.1 वर्ष के दौरान पौधारोपण के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	2800	1. दुर्गम, प्रतिकूल, दूरस्थ एवं दुर्गम/अप्रवेश्य क्षेत्रों का पारिस्थितिक पुनर्स्थापन।	1.1 दुर्गम/अप्रवेश्य/दूरस्थ क्षेत्रों में पौधारोपण के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	2800
		1.2 वर्ष के दौरान रोपे गए पौधों की संख्या (लाख में) –	28			
				2. पूर्व सैनिकों हेतु सार्थक रोजगार को प्रोत्साहन।	1 रोजगार उपलब्ध कराए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या।	203

6. पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	आउटपुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
99.50	1. संधारणीय जीवनशैली की कार्यशालाओं/परियोजनाओं/प्रदर्शनियों/नेचर कैंपों आदि का आयोजन।	1.1 पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों एवं युवाओं के लिए आयोजित की गई कार्यशालाओं/परियोजनाओं/प्रदर्शनियों आदि की संख्या।	10000	1. संधारणीय जीवनशैली अपनाने के लिए बच्चों और युवाओं की संवेदनशीलता और कौशल विकास।	1.1 संधारणीय जीवनशैली के प्रचार के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से संवेदनशील किए गए बच्चों/युवाओं की संख्या।	500000
	2. अनुसंधान एवं विकास	2.1 संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान विषयगत क्षेत्रों में वित्तपोषित नई परियोजनाओं की संख्या।	12	2. ज्ञान सृजन	2.1 वित्तीय वर्ष के दौरान समकक्ष-समीक्षित (पीयर–रिव्यूड) पत्रिकाओं, समकक्ष-समीक्षित पुस्तकों, पेटेंटों/प्रौद्योगिकियों के फाइल किए जाने की संख्या।	10
	3. जनसमुदाय/(पर्यावरण सूचना, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत)समुदायों सहित हितधारकों की संवेदनशीलता एवं जागरूकता में वृद्धि	3.1 वर्ष के दौरान संचालित की जाने वाली जन–जागरूकता अभियानों/कार्यकलापों की संख्या।	800			
	4. हरित कौशल विकास कार्यक्रम: वन, पर्यावरण एवं वन्यजीव क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न हरित कौशलों में युवाओं को प्रशिक्षित करना (पर्यावरण सूचना, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत)।	4.1 वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान विभिन्न हरित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए युवाओं की संख्या।	550			
		4.2 वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान विभिन्न हरित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत	250	3.1. पर्यावरणीय कार्यकलापों में युवाओं के कौशल में वृद्धि और उन्हें	3.1 सर्टिफिकेट कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद प्रशिक्षित युवाओं	300

		प्रशिक्षित किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं की संख्या।		सुसंगत रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।	में रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या।	
		4.3 वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या।	40	3.2 आम जनता सहित अन्य हितधारकों की संवेदनशीलता एवं जागरूकता में वृद्धि।	3.2 सर्टिफिकेट कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं में रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या।	100
					3.3 जन–जागरूकता अभियानों में प्रतिभागियों की संख्या।	5,50,000

* उपर्युक्त बिंदु 1.1 के लिए, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (ईईपी) के अंतर्गत संधारणीय जीवनशैली के प्रचार के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से संवेदनशील किए जाने वाले बच्चों/युवाओं की संख्या के लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

- लैंगिक आधार पर: 2.5 लाख पुरुष और 2.5 लाख महिलाएँ
- अनुसूचित जाति: 84,000
- अनुसूचित जनजाति: 1 लाख
- ईईपी में उत्तर–पूर्वी क्षेत्र घटक: शून्य